कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सागर मंडल,
आयुक्त कार्यालय परिसर, सागर (470001) म.प्र.

दूरभाष 07582-228042 ई– seressagar@mp.gov.in

क्रमांक / 699 / ई–निविदा / ग्रा.यां.से. / 2026 सागर, दिनांक 06 / 05 / 2026

वित्तीय वर्ष 2026–27

// विस्तृत ई–निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 03 / 2026–27 //

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन प्रतिशत दर पर निविदाएं निविदा प्रपत्र "2.10" पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग के नवीन केन्द्रीयकृत ई–पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत (सिविल श्रेणी) ठेकेदारो से निविदा लागत (पी.ए.सी.) राशि रू. 100.00 लाख तक के कार्य हेतु दो लिफाफा पद्धति एवं राशि 100.00 लाख से अधिक राशि के कार्य हेतु तीन लिफाफा पद्धति में तालिका में दर्शाये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक से प्रभावशील दर अनुसूची तथा विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.01.2024 से लागू दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	ग्रायांसे संभाग	टेण्डर आई.डी. नंबर	कार्य का नाम	निविदा लागत (पी.ए.सी.) (रू. लाख में)	अमानत राशि (राशि रू. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रूपये में)	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	ठेकेदार की पंजीयन श्रेणी	निविदा आमंत्रण का क्रम	एस.ओ. आर.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	छतरपुर	2026_RES_504730_1	पैकेज नं. छतरपुर 0947 (ग्राम पंचायत रामपुर में मांगलिक भवन एवं ग्राम पंचायत महेवा में मांगलिक भवन निर्माण आंतरिक विद्युतीकरण एवं सेनेटरी फिटिंग सहित) वि.ख. छतरपुर	46.69	50000/-	5000/-	06 माह	म.प्र.लो.नि.वि. में नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन	प्रथम	11.04.2022
2	सागर क्र. 02	2026_RES_504733_1	ग्राम सौरई ग्राम पंचायत सौरई वि.ख. बण्डा में मंगल भवन निर्माण	41.23	50000/-	5000/-	06 माह	म.प्र.लो.नि.वि. में नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन	प्रथम	11.04.2022

3	सागर क्र. 02	2026_RES_504734_1	ग्राम सिसगुवां ग्राम पंचायत बूढ़ाखेरा वि.ख. बण्डा में प्राथ.शाला भवन निर्माण कार्य	35.75	50000/-	5000/-	06 माह	म.प्र.लो.नि.वि. में नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन	प्रथम	11.04.2022

Key Dates			
Publish Date & Time	07.05.2026 05:00 PM	**Bid Opening Date & Time**	25.05.2026 10.00 AM
Document Download/Sale Start Date & Time	08.05.2026 05:30 PM	**Document Download/ Sale End Date & Time**	22.05.2026 05:00 PM
Bid Submission Start Date & Time	08.05.2026 05:30 PM	**Bid Submission End Date & Time**	22.05.2026 05:30 PM

निविदा हेतु सामान्य निर्देश/अनुदेश:-

1. निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही ऑनलाईन ही National Information Centre (NIC) द्वारा विकसित नवीन web portal **https://www.mptenders.gov.in** के माध्यम से संपन्न होगी।
2. निविदा प्रपत्र क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग द्वारा पोर्टल फीस भुगतान कर ऑनलाईन क्रय किये जा सकेंगे।
3. बिड सबमिट करते समय निविदाकार को बिड डोक्यूमेन्ट शुल्क, ई.एम.डी., चैक लिस्ट, शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में) ऑनलाईन सबमिट करना अनिवार्य होगा।
4. कार्य संबंधी विस्तृत विवरण आदि हेतु **संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यॉंत्रिकी सेवा** के कार्यालय में संपर्क करें।
5. निविदाकार को निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल निरीक्षण करना श्रेयस्कर होगा।
6. भवनों में विद्युतीकरण के कार्य हेतु विद्युत लाइसेन्सशुदा व्यक्ति से परीक्षण कराया जाकर टेस्ट रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाना होगी।
7. वे अर्ह निविदाकार जो लो.नि.वि. म.प्र. शासन के अन्तर्गत पंजीबद्ध नहीं हैं, पंजीकरण हेतु आवेदन कर निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे (आवेदन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।) तथा अनुबंध के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।तद्समय पंजीयन प्रमाण पत्र के अभाव में अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा सकेगा।
8. ठेकेदार द्वारा शपथ पत्र, पंजीयन की मूल प्रति फर्म/कंपनी के निर्माण तथा पार्टनशिप डीड, मुख्तियारनामा/ पावर ऑफ अटॉर्नी (यदि आवश्यक हो तो, निविदाकार का पेन नम्बरएवं जीएसटी की वैधता संबंधी दस्तावेज तथा फर्म में कार्यरत अभियंता आदि की जानकारी ऑनलाईन स्केन कॉपी के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई भी दस्तावेज हार्डकॉपी में इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जावे।
9. निविदा प्रपत्र 2.10 का ठीक प्रकार से अध्ययन करलें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नही रहेगा और न ही किसी निविदाकार के चाहने पर निविदा जमा करने की तिथि में वृद्धि की जावेगी।
10. निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD राशि के भुगतान/रिफण्ड की प्रक्रिया ऑनलाईन ही रहेगी।

11. निविदाकार बेवपोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने से पहले सभी दस्तावेजों (जो सुस्पष्ट/पठनीय हों) में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर, एक सीक्वेन्स में Pdf फोर्मेट में Scan कर तथा दस्तावेज पृष्ठ अधिक संख्या में होने पर Rar फोर्मेट में अपलोड करें।
12. तकनीकी एवं वित्तीय ऑफर की Evaluation रिपोर्ट (निर्णय सहित) निविदापोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
13. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यॉत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि-10/ग्रा.यां.से./2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से राशि रुपये 1.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदाओं के लिये प्री-क्वालीफिकेशन की शर्त लागू होगी । तकनीकी प्रस्ताव Annexure I (Format I-1 to I-5) पर ही अपलोड करें।
14. ठेकेदार की निविदा दरें SOR से 10% से भी कम प्राप्त होने पर अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) मानी जवेगी एवं 10% से अधिककमी के निविदा प्रतिशत के अंतर की अतिरिक्त परफोरमेंस गारंटी ली जायेगी एवं कार्य हेतु लागू दर अनुसूची से कम दरें निविदत्त करने की स्थिति में निविदा खोले जाने की दिनांक तक शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश बन्धनकारी होंगे।
15. भौतिक एवं वित्तीय क्षमता का आंकलन निविदा प्रपत्र में निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत जानकारी अनुसार किया जायेगा।
16. कार्यों के प्राक्कलन ग्रामीण यॉत्रिकी सेवा द्वारा दिनांक 11.04.2022 से लागू तथा विद्युत कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2024, से लागू व निविदा सूचना दिनांक तक उक्त SOR में हुये संशोधनों पर बनाये गये है। विसंगति होने पर BOQ से संबंधित SOR की दरें मान्य होंगी अत: दरें निविदत्त करते समय BOQ का आवश्यक रूप से अवलोकन कर लिया जावे।
17. निविदा प्रपत्र के एपेंडिक्स 2.10 के Section 3 condition of contract part-II Special Conditions of contract (SCC) में राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत निम्न शर्त जोड़ी जाती है " Bidders are required to offer their bids exclusive of applicable GST the GST shall be paid by the Government to the Contractor separately." ।
18. निविदाकार या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नही की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिए निविदाकार के द्वारा पृथक से निविदा प्रस्तुत की जाना होगी।
19. निविदा निरस्त, स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
20. परफोरमेंस सिक्यिूरिटी एवं डिफेक्ट लायबिल्टी की शर्तें Contract Data अनुसार रहेंगी। डामकरीकृत मार्ग कार्यों के लिए कार्यालय प्रमुख अभियंता का आदेश क्र. 3133/22/वि-10/ग्रायांसे/2023 भोपाल दिनांक. 09.05.2023 लागू होगा। तदानुसार अनुबंध के समय कार्यवाही सुनिश्चित करें।
21. अनुबंध के समय स्टाम्प ड्यूटी शासन के नियमानुसार देय होगी।
22. श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत अनुबन्ध होने के पश्चात एक माह के अंदर जीवित लेबर लायसेन्स प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
23. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. निर्माण कार्य के अनुबंध के समय ठेकेदार द्वारा नियोजित किये गये कर्मचारियों का ई.पी.एफ. हेतु रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य।
25. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावेगा।
26. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।
27. निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
28. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
29. निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आरसीसी डिजाईन का अनुमोदन कार्य सम्पादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री/सक्षम अधिकारीसे कराया जाना होगा।
30. लागू SOR से भिन्न अतिरिक्त आयटमों का भुगतान सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही किया जा सकेगा।
31. अनुबंधानुसार ठेकेदार को डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि में समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गये सुधार कार्य कराये जाना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में डिफेक्ट लायबिलिटी निधि को राजसात करते हुए, उक्त राशि से आवश्यक सुधार कार्य करवाने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
32. पात्र निविदाकारद्वारा यदि समय-सीमा में अनुबंध नहीं किया जाता है तो निविदा में जमा अमानत (EMD) राशि नियमानुसार राजसात की जायेगी।
33. निर्माण कार्य के दौरान भूमिगत अथवा सतह पर किसी भी प्रकार का अवरोध अथवा पाईप लाईन आदि होने पर तीन दिवस के अंदर विभाग को लिखित में सूचित करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। प्रारंभ (खुदाई) करने से पूर्व संचार, जल गैसएवं विद्युत विभाग आदि से संपर्क करना सुनिश्चित करें। विपरीत परिस्थिति में होने वाली क्षति के लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

34. निविदा प्रपत्र एवं कार्य विभाग संहिता में दिये गये अनुदेशों तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी अनुदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य व बन्धनकारी होगा।
35. यदि निविदा में कोई संशोधन किया जाता है तो सिर्फ Web Portalhttps://www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
36. कार्यों के संबंध में जानकारी हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
सागर, मण्डल सागर

पृ. क्रमांक / 700 / ई–निविदा / ग्रा.यां.से. / 2026 सागर, दिनांक 06 / 05 / 2026
प्रतिलिपि :–

1. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, जन संपर्क भवन, बाण गंगा रोड भोपाल की ओर नियमानुसार निविदा प्रकाशन हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पंचम तल, विकास भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
4. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर।
5. कलेक्टर जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ (म.प्र.)।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ (म.प्र.)।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ (म.प्र.)।
8. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
सागर, मण्डल सागर

Signature Not Verified
Digitally signed by sanjay kumar jatav
Date: 2026.05.08 12:49:22 IST
Location: Madhya Pradesh-MP